

6-1-20 पत्रावली पेश हुई। बकुलाप पक्षकार 11
अनुपस्थित। प्रकरण में न्यायालय समय
में तीन बार रुक रुक कर अलग-अलग
समय में आवाज लगवाई गई किन्तु
वादी अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित
रहे। जितने यह जाद्वर होता है कि वादी
अपने वाद के प्रतीक गणनी नहीं है
अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना
चाहते हैं। अतः वादी का वाद अटल दावों
व अटल धरकों के खारिज किया जाता है।
पत्रावली प्रेषण समाप्त है।

Mewu
अधीन अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

